प्रेस नोट 07/11/2021

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में–

<u>02 शातिर व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 मोबाईलफोन व एक मोटरसाईकिल बरामद–</u>

थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रणबीरपुर से दो शातिर व्यक्तियों क्रमशः मनीष राजभर पुत्र स्व0 माता प्रसाद व अंगद शर्मा पुत्र नायब निवासीगण निगहुआ थाना भीमपुरा जनपद बलिया के कब्जे से चोरी के 05 मोबाईलफोन व एक मोटरसाईकिल ग्लैमर (यूपी 54 एव 0561) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 561/21 धारा 41,419,420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>10 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब के साथ एक महिला सहित 02 गिरफ्तार–</u>

थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नसोपुर से आनंद सिंह पुत्र स्व0 अनिल व प्रेमशिला पत्नी स्व0 अनिल निवासीगण नसोपुर थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 560/21 धारा 467,468,471,272 भादवि, 60 आबकारी अधि0 व 63 कापीराइट अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>अवैध तमंचा व कारतूस एवं चाकू के साथ 02 शातिर व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 06.11.2021 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मुंशीपुरा ओवरब्रिज के पास से दो शातिर व्यक्तियों क्रमशः संजीव शुक्ल पुत्र कृपाशंकर निवासी रामपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक जिंदा कारतूस 12 बोर व सद्दाम पुत्र निजामुद्दीन निवासी जगनपट्टी थाना कप्तानगंज आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद नजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 441,442/21 धारा 3/25 व 4/25 आयु0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में कुल 12 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 07.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा प्रभुनाथ यादव, मुन्नीलाल व श्यामसेवक निवासीगण यहिया चक, मनोज कुमार निवासी वलीनगर थाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सोनू व सोनू निवासीगण फरसरा बुजुर्ग थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रामजनम पुत्र सुरेन्द्र निवासी कुंवारीडीह थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा धरम सिंह निवासी बसारथपुर, अच्छेलाल निवासी हिकमा, रामप्रवेश निवासी चौबेपुर थाना कोपागंज व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अरविंद राजभर व अमरजीत निवासीगण ख्वाजाजहांपुर व जितेन्द्र निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।